New National Biogas and Organic Manure Programme (NNBOMP)

भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मन्त्रालय (Ministry of New & Renewable Energy)(MNRE) द्वारा राज्यो में बायोगैस प्लान्ट लगाने हेतु जारी नवीन योजना New National Biogas and Organic Manure Programme (NNBOMP) के दिशानिर्दश जारी किये गये है। उक्त दिशानिर्देश दिनांक 01.04.2018 से लागू होगे जो कि वर्तमान में वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 वित्तीय वर्षो के लिये लागू किये गये है

योजना के मुख्य उद्देश्य

उक्त योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं।

1. खाना पकाने हेतु स्वच्छ रसोई गैस उपलब्ध कराना एवं रोशनी एवं अन्य लघु उद्योगो आदि हेतु वैकल्पिक स्त्रोत के रूप में बायोगैस का उपयोग।
2. महिलाओं के लिये कष्ट मुक्ति एवं समय की बचत।
3. वनों की कटाई पर अकुंश/रोकथाम।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता हेतु बायोगैस प्लान्ट को शौचालय से जोडना।
5. बायोगैस प्लान्ट से बनने वाले जैविक खाद के उपयोग को बढावा देना एवं रासायनिक खाद की उपयोगिता को कम करना।
6. वातावरण में कार्बन डाइ आक्साइड व मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना।

योजना का क्रियान्वयन

उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु स्टेट नोडल विभाग के रूप में ग्रामीण विकास विभाग (SRD) को मुख्य क्रियान्वयन ऐजेन्सी व खादी एवं ग्राम उद्योग कमीशन (KVIC) को भी सहयोगी ऐजेन्सी के रूप में रखा गया है। राज्य में बायोगैस विभाग एवं प्रशिक्षण सेन्टर (BDTC) के रूप में CTAE, MPUAT Udaipur के बायोगैस प्रशिक्षण सेन्टर को इस हेतु तकनीकि प्रशिक्षण,कौशल विकास प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार सामग्री, प्रशिक्षण सामग्री आदि विकसित करने की जिम्मेदारी है। इस योजना में बायोगैस प्लान्ट का निर्माण पूर्व में पजीकृत टर्न की वर्कर, पंजीकृत सस्थाओ/कार्पोरेट के माध्यम से कराया जा सकता है।

वार्षिक लक्ष्य

वर्ष 2018–19 हेतु राज्य में बायोगैंस प्लान्ट लगाने कें लक्ष्य निम्नानुसार है।

विभाग का नाम	सामान्य	एस सी	एस टी	कुल योग
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार	1200 (T-100)	1500 (T-50)	1000 (T-50)	3700 (T-200)

T – टायलट लिंक बायोगैस प्लान्ट

वर्ष 2018–19 हेतु बायोगैस प्रशिक्षण हेतु लक्ष्य निम्नानुसार है।

सस्था का नाम	CMC/ Refresher training (10 days)	Users courses (one day)	Turn key workers courses (15 days)	Staff courses (4 days)	Biogas Skill dev. courses
CTAE, MPUAT Udaipur	10	100	6	8	6

बायोगैस प्लान्ट के अनुमोदित मॉडल

इस योजना के अन्तर्गत नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मन्त्रालय द्वारा समय समय पर बायोगैस प्लान्ट के निम्नानुसार अनुमोदित मॉडल के अनुसार ही बनाया जाना है। इसके अतिरिक्त KVIC के डिजाईन भी भविष्य में नवीन तकनिकी एवं फीडस्टाक के अनुरुप MNRE द्वारा जारी होने वाले अनुमोदित डिजाईन भी लागू होगे। इस हेतु अन्य बायोगैस उपकरण भारतीय मानक ब्यूरो (आई.एस 8749:2002) के अनुसार होने चाहिए।

S No	Biogas plant Models *	Specifications/Ministry's letter Nos. and date and date of approval.
1	Fixed Dome/Gasholder Biogas Plants: (i).Deenbandhu fixed dome model with vrick masonry construction. (ii) Deenbandhu ferro cement model with in –situ technique. (iii) Prefabricated RCC fixed dome model. (iv) Solid-state Deenbandhu fixed Dome.	-Ministry's letter No. 13-10/96-BG dated 10.1.2002 -Code of Practices (Second Revision), is 9478:1989 of the BIS, New Delhi. -Ministry's letter No. 13-11/99-BG dated 05.03.1999. -Ministry's O.M. No. 13-5/2016-BG(NBMMP) dated 07.11.2016
2	Floating Dome Design Biogas Plants: (i) KVIC floating steel metal Gasholder with brick masonry. (ii) KVIC floating Gasholder type plant with ferro-cement digester. (iii) KVIC design Biogas Plant with Fibre Glass Reinforced plasic (FRP) and Digester. (iv) Pragati Model Biogas plants. (v) KVIC design type digester with floating Gasolderm , made up of HDPE/ PVC/ FRP/RCCetc. material plant	-Code of Practices (Second Revision),is 9478:1989 of the BIS, New Delhi. Code of practice IS 12986:1990 of BIS, New Delhi. Specification of FRP Gasholder should be as per IS-12986:1990 Code of Practices (Second Revision), is 9478:1989 of the BIS, New Delhi. -MNRE O.M. No. 18-1/2014 BE (NBMMP), Dated 26.11.2014
3.	Prefabricated model Biogas plants: (i)Prefabricated Reinforced Cement Concrete (RCC) digester with KVIC floating drum/gasholder.	-Ministry's OM No. 18-1/2014 BE (NBMMP) Dated 26.11.2014
4	Bag Type Biogas plant (Flexi model)	Ministry's letter No. 7-39/89BG dated 14.07.395

केन्द्रीय वित्तीय सहायता (CFA)

इस योजना के अन्तर्गत बायोगैस प्लान्ट स्थापित करने हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता (CFA) का प्रावधान निम्नानुसार है।

S. No.	Particular of Central Financial Assistance	Biogas Plants under NNBOMP (Size 1 to 25 Cum biogas per day)				
		1 Cum	**2-6 Cum**	**8-10 Cum**	**15 Cum**	**20-25 Cum**
A	Rajasthan (General Category)	7,500	12,000	16,000	20,000	25,000
B	Rajasthan SC/ST category	10,000	13,000	18,000	21,000	28,000
C	Additional Subsidy for cattle dung based biogas plants if linked with sanitary toilets, only for individual households (Rs. Per Biogas Plant) fixed	1,600	1,600	1,600	Nil	Nil

उक्त योजना अन्तर्गत पुराने बायोगैस प्लान्ट की मरम्मत हेतु कोई राशि का प्रावधान नही किया गया है। इसके अतिरिक्त बायोगैस चलित इन्जन व जैनरेटर खरीदने एंव उसको बायोगैस प्लान्ट से जोड़ने पर 3000 रू प्रति प्रत्येक लाभार्थी अतिरिक्त इन्सेन्टिव एंव बड़े प्लांट 15 से 25 घन मी क्षमता के प्लांट हेतु अधिकतम 4000 रू प्रति प्रत्येक लाभार्थी अतिरिक्त इन्सेन्टिव भी देय होगा।

प्रशासनिक व्यय

भौतिक लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिये प्रशासनिक व्यय के रूप में बायोगैस प्लान्ट की सख्यां के आधार पर देय होगा।

S.N.	**Administrative Charges – for physical target achievement range of biogas plants**	**Amount in lacs**
1.	100-3000 nos. of Biogas Plants.	1.00 lacs
2.	3001-7000 nos. of Biogas Plants.	10.50 lacs
3.	Above 7000 nos. of Biogas Plants.	24.50 lacs

राजस्थान राज्य के इस वर्ष के बायोगैस प्लान्ट के लक्ष्यो (3700) के अनुरूप इस वर्ष इसका 10.50 लाख का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त लक्ष्यो कि पूर्ति होने पर क्रियान्वयन विभाग को 100 से अधिक बायोगैस प्लान्ट लगाने पर 400 रू प्रति बायोगैस प्लान्ट, 3000 से अधिक बायोगैस प्लान्ट लगाने पर 350 रू प्रति बायोगैस प्लान्ट, 7000 से अधिक बायोगैस प्लान्ट लगाने पर 300 रू प्रति बायोगैस प्लान्ट अधिकतम 60 लाख अतिरिक्त इन्सेन्टिव भी देय होगा।

प्रशिक्षण हेतु प्रावधान

राज्य में बायोगैस के प्रशिक्षण देने हेतु Biogas Development & Training Centre के रूप में, महाराण प्रताप कृषि विश्वविद्यालय को मनोनीत किया गया है। उक्त संस्था राज्य में विभिन्न स्तर में तकनीकी प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रमों को आयोजित करेगी। जिसमें स्टाफ हेतु प्रशिक्षण, लाभार्थियो हेतु प्रशिक्षण, टर्न की वर्कर, स्वयं सहायता समूहो एवं क्रियान्वयन ऐजेन्सियो हेतु प्रशिक्षण आदि कराये जाने का प्रावधान है। इस हेतु प्रचार प्रसार की सामग्री तैयार करेंगे, इस हेतु कुल 4.00 (चार) लाख रूपये का प्रावधान स्वीकृत है।

बायोगैस कार्यो की समीक्षा

बायोगैस के सम्बन्ध में वार्षिक कार्य योजना तैयार करने एवं BDTC के कार्यो की सतत समीक्षा हेतु एक कमेटी का गठन किया जाना हैं

(i) BDTC Work Advisory & Review Committee

1.	Pr. Secretary, RD & PR	Chairman
2.	KVIC, Rajasthan Representative	Member
3.	Professor, Deptt. of Renewable Energy Engg CTAE, MPUAT, Udaipur	Member
4.	CEO & PD Biofuel Authority	Member Secretary

दिशानिर्देशो के अनुसार बायोगैस प्लान्ट की ईकाई लागत Unit Cost के प्रतिवर्ष निर्धारण हेतु निम्नानुसार विभागो/संस्थाओ के सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया जाना है।

(ii) Unit Cost Committee (ईकाई लागत समिति)

- ग्रामीण विकास विभाग (SRD)
- खादी एवं ग्राम उद्योग कमीशन (KVIC)
- बायोगैस विभाग एवं प्रशिक्षण सेन्टर (BDTC)
- नाबार्ड (NABARD)/ईरेडा (IREDA)
- अन्य बैंक

(iii) जिला स्तरीय समिति (Joint Monitoring & Coordination Committee)

बायोगैस कार्यो की सतत मानिटरिंग हेतु जिला स्तर पर District Level Committee के ऐजेण्डा में इसको सम्मिलित करते हुऐ प्रगति की नियमित समीक्षा की जानी है।

आवश्कतानुसार बायोगैस प्लान्ट के कार्यो के Research, Monitoring & Evaluation स्वतंत्र सस्था (III Party) के माध्यम से भी करायी जा सकती है। जिसका व्यय प्रशासनिक मद में से वहन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य विभाग यथा MNRE, नीति आयोग एवं साख्यिकी विभाग आदि भी स्वतंत्र संस्थाओं के माध्यम से कार्यो का मूल्यांकन करवा सकते है।

NNBOMP योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राशि जारी करने की प्रकिया

NNBOMP योजना अन्तर्गत भारत सरकार से प्रत्येक राज्य (स्टेट नोडल विभाग) को उसके निर्धारित वार्णिक लक्ष्यों के अनुसार रू 12000/– प्रति प्लान्ट की औसत ईकाई लागत के अनुसार होने वाले बजट का प्रथमतः 50% राशि स्वीकृत कर केन्द्रीय वित्तीय सहायता (CFA) हस्तान्तरित किया जावेगा। उक्त राशि भारत सरकार द्वारा 3 किस्तों में राज्यों को जारी की जावेंगी। उक्त राशि का उपयोग सबसिडी के भुगतान, टर्न की जांच फीस, प्रशासनिक व्यय, प्रचार प्रसार व प्रशिक्षण आदि हेतु किया जा सकेगा। 10 घन फीट क्षमता से अधिक के बायोगैस प्लान्ट हेतु अग्रिम राशि/सबसिडी जारी नही की जावेगी। उनका भुगतान Reimbursement के रूप में ही किया जावेगा।

1.	प्रथम किस्त	:	निर्धारित वार्णिक लक्ष्यों के अनुसार औसत ईकाई लागत रू 12000/– प्रति प्लान्ट की दर से लागत का 50% प्रतिशत
2.	दितीय किस्त	:	a. प्रथम किस्त की उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर b. अंकेक्षण लेखे प्राप्त होने पर c. भौतिक लक्ष्यो का 55% उपलब्धि होने पर
3.	तृतीय किस्त	:	प्रथम व दितीय किस्त की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं अंकेक्षण लेखे रिर्पोट प्राप्त होने पर

टर्न की जॉब फीस

इस योजना में बायोगैस प्लान्ट को लगाये जाने हेतु पंजीकृत टर्न की वर्कर, पंजीकृत संस्थाये, पंजीकृत कार्पोरेट, बायोगैस मित्र, बायोगैस टेक्नीशियन, अनुमोदित बायोगैस एन्टरप्राइसेस एवं स्वयं सहायता समूहो के माध्यम से कराये जा सकते है। इस हेतु टर्न की वर्कर को देय फीस निम्नानुसार होगी। इस हेतु टर्न की वर्कर द्वारा बायोगैस प्लान्ट की 5 वर्ष तक मेनटीनेन्स की जावेगी।

दीन बधु मॉडल व फलोटिग गैस हाल्डर KVIC टाईप बायोगैस प्लान्ट	
1 से 10 घन मी. के बायोगैस प्लान्ट	2500/– प्रति प्लान्ट
15 से 25 घन मी. के बायोगैस प्लान्ट	4500/– प्रति प्लान्ट
प्री. फेब्रीकेटेड बायोगैस प्लान्ट	1000/– प्रति प्लान्ट
बैग टाईप डाइजेस्टर वाले बायोगैस प्लान्ट	शून्य

इस हेतु निविदा के माध्यम से चयनित टर्न की वर्कर/कॉन्ट्रेकटर के माध्यम से भी बायोगैस प्लान्ट निर्मित करवाये जा सकते है।

कार्यो की प्रगति की समीक्षा

मासिक प्रगति रिपोर्ट – प्रत्येक माह की 5 तारीख को निर्धारित प्रपत्र में MNRE को भिजवायी जानी है।

त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट – प्रत्येक त्रैमास की 15 तारीख को निर्धारित प्रपत्र में MNRE को भिजवायी जानी

वार्षिक रिपोर्ट – प्रत्येक वर्ष दिसम्बर अन्त में संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट जिसमें राज्य में योजना क्रियान्वयन हेतु किये गये प्रयास एवं उपलब्धियों का विवरण होगा। सफलता की कहानियो का भी उल्लेख किया जाना है।

कार्यो का भौतिक सत्यापन

प्रत्येक माह पूर्ण होने वाले बायोगैस प्लान्ट का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जाना आवश्यक है। किसी भी बायोगैस प्लान्ट का क्रियान्वयन ऐजेन्सी के सक्षम अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन पश्चात ही पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। इसी प्रकार बायोगैस प्लान्ट के ऑपरेशनल होने के सम्बन्ध में SRD, KVIC & BDTC नियमित रूप से प्रत्येक माह न्यूनतम दो गॉव का भ्रमण कर त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगे। BDTC प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम एक हजार बायोगैस प्लान्ट का रेन्डम निरीक्षण करेंगे।

रिकॉर्ड का सन्धारण

- प्रत्येक बायोगैस प्लान्ट को एक आई.डी नम्बर देकर वर्षवार स्थायी बायोगैस मास्टर रजिस्टर तैयार करना होगा। आई डी नम्बर ग्राम,ब्लॉक,जिला कियान्वयन ऐजेन्सी के अनुसार दिया जाना है। उक्त आई डी संख्या एवं कार्य पूर्णता की दिनांक आदि बायोगैस प्लान्ट पर अंकित किये जाने है।
- लाभार्थी की सूचना के साथ आधार नम्बर बैंक डीटेल एवं मोबाइल नम्बर अंकित किया जाना होगा।
- स्टेट नॉडल ऑफिस द्वारा बायोगैस प्लान्ट लाभार्थियो की ग्रामवार वर्षवार सूचना तैयार कर पी.एम. आई.एस पोर्टल पर सूचना अपलॉड की जानी है।
- कार्यो के पूर्णतः प्रमाण पत्र हेतु सम्बन्धि लाभार्थी, टर्न की वर्कर एवं दो गवाहो के हस्ताक्षर भी किये जावेगें जिन्हे कियान्वयन ऐजेन्सी के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना है
- टर्न की वर्कर के भुगतान हेतु प्रथक से रिकोर्ड सन्धारण किया जाना है।
- बयोगैस प्लान्ट के संचालन हेतु प्रथक से रिकॉर्ड सन्धारण किया जाना है। जिसका त्रैमासिक रूप से पी. एम.आई.एस पोर्टल पर सूचना अपलॉड की जानी है।
- बायोगैस प्लान्ट की साइट का अनुमोदन होने एवं बायोगैस प्लान्ट पूर्ण हो जाने के पश्चात दो बार Geo-Tagging की जानी है।
- बायोगैस प्लान्ट के चार फोटोग्राफ सन्धारित किये जाने है। 1– प्लान्ट साइट, 2– कार्य प्रगति के दौरान, 3– कार्य पूर्ण होने पर एवं 4– बायोगैस प्लान्ट के संचालन के दौरान
- लाभार्थी एवं उसकी पत्नी/पति द्वारा पूर्व में बायोगैस प्लान्ट निमार्ण हेतु सहायता राशि नही प्राप्त सम्बन्धी एवं बायोगैस प्लान्ट को स्वयं संचालन किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र लिया जाना हैं।